न्यायालय जिला कलक्टर, झुंझुनू

पीठासीन अधिकारी :– यू0डी0खान
आई.ए.एस.

अपील संख्या 09/2019

सरवर पुत्र चांद खां, जाति मुसलमान, निवासी ग्राम सोती, तहसील व जिला झुंझुनूं।

–– अपीलान्ट

बनाम

राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार, झुंझुनूं तहसील व जिला झुंझुनू।

–– रेस्पोडेन्ट्

––

अपील विरूद्ध निर्णय तहसीलदार झुंझुनूं आदेश दिनांक 07.09.2019 उनवानी सरकार बनाम सरवर मु0न0 24/2018 अ0धारा 91 राज0 भू–राजस्व अधिनियम 1956

––

उपस्थित:–

1. फैयाज अहमद एडवोकेट– अपीलान्ट की ओर से।
2. श्री श्रवण कुमार सैनी – राजकीय अभिभाषक रेस्पोडेन्ट की ओर से।

आदेश

दिनांक 02.11.2020

पत्रावली पेश हुई। उक्त विषयक अपील तहसीलदार झुंझुनूं के निर्णय दिनांक 07.09.2018 के विरूद्ध नय प्रार्थना पत्र दफा 5 मि.अ. व स्थगन के प्रस्तुत की गई है। प्रार्थना पत्र दफा 5 मि0अ0 पर बहस सुनी गई। अपील का निर्णय गुणावगुण के आधार पर करने की दृष्टि से प्रा0प0 दफा 5 मि0अ0 स्वीकार किया जाता है। अपील के तथ्य निम्न प्रकार से है:– अपीलान्ट के खिलाफ पटवारी हल्का प्रतापपुरा की रिपोर्ट दिनांक निल को दिनांक 01.01.2018 को प्रस्तुत होना मानकर प्रकरण उक्त उनवानी दर्ज किया जाकर तलबी अपीलान्ट/गैरसायल कर उक्त अनुसार दर्ज कार्यवाही मे जैरे अपील निर्णय व आदेश पीठासीन अधिकारी तहसीलदार झुंझुनूं ने पारित किया है। पटवारी हल्का की रिपोर्ट जिस पर पटवारी हल्का ने कोई दिनांक अंकित नही की है जबकि रिपोर्ट के सम्वत् 2074 दर्ज है। ख0न0 2010 कुल रकबा 1.85 है गैर मुमकिन जोहड 2 मे 0.08 है0 पर पुख्ता मकान आवासीय दर्ज करते हुए अन्तिम कॉलम मे अतिक्रमी ने पुख्ता मकान बनाकर अतिक्रमण कर रखा है जो कदीमी है दर्ज किया है। उक्त अनुसार ही प्रकरण दर्ज कर कार्यवाही अन्तर्गत धारा 91 राज0 लैण्ड रेवेन्यू एक्ट दर्ज नही होनी चाहिए थी। पटवारी हल्का की रिपोर्ट से पूर्णतया प्रकट है कि कब्जा कदीमी है। अपीलान्ट/गैरसायल का कब्जा व तामीर मकानात् पैतृक विरासत मे मिली भूमि पर है। अपीलान्ट/गैरसायल के पिता स्व0 चांद खां पुत्र करीम खां कायमखानी निवासी सोती को लाल ठिकानों के समय से मिली भूमि पर आवासीय बाडा व कच्चे मकानात् तामीर किये हुए थे। उक्त भूमि के संबंध मे अपीलान्ट/गैरसायल के स्व0 पिता उक्त चांद खां को भी अन्तर्गत धारा 91 राज0 लैण्ड रेवन्यू एक्ट के नोटिस राज्य सरकार ने जरिये तहसीलदार झुंझुनूं दिये। जिसके बाद उक्त भूमि पर अपीलान्ट/गैरसायल के पिता चांद खां का दिनांक 28.01.1983 को राजस्व अभियान कैम्प प्रतापपुरा मे तत्कालीन नायब तहसीलदार झुंझुनूं ने पुराना कब्जा मानते हुए नियमन योग्य मानते हुए 500 वर्गगज निःशुल्क एवं 500 वर्गगज सशुल्क तथा बाकी

जिला कलक्टर झुंझुनूं

232 वर्गगज भूमि की पेनल्टी कायम करते हुए निर्णय दिया जिसके निर्णय व आदेश की फोटो प्रति संलग्न है। उक्त अनुसार दर्ज मद संख्या 3 मेमो ऑफ अपील के अनुसार 1232 वर्गगज भूमि उक्त निर्णय व आदेश नायब तहसीलदार झुंझुनूं दिनांक 28.01.1983 से स्पष्ट रूप से दर्ज है ऐसी स्थिति मे अपीलान्ट/गैरसायल को अतिक्रमी मानते हुए जैरे अपील निर्णय व आदेश दिनांक 07.09.2018 को कतई न्यायोचित नही माना जा सकता। अपीलान्ट/गैरसायल उक्त पैतृक व विरासतन भूमि के आधा हिस्से व उसके अन्य भाई नबाब का है जिसमे उक्त सरवर का कब्जा व अधिकार है। उक्त सरवर को भी अपीलान्ट की तरह नोटिस देकर बेदखली आदेश पारित किये गये है। अपीलान्ट/गैरसायल नबाब की वल्दियत पूर्णतया गलत लिखी है उसकी वल्दियत असगर लिखी है। अपीलान्ट/गैरसायल व उसके भाई सरवर के पास हक एवं अधिकार तथा स्वामित्व की पैतृक विरासतन भूमि पर गत ख0न0 46 मे से है जिसके नये खसरा नम्बर कई हो चुके है जिसमे हाल खसरा नम्बर 210 रकबा 1.85 हैक्टेयर मे से 0.18 हैक्टेयर पर अपीलान्ट तथा 0.10 हैक्टेयर पर उक्त नबाब का कब्जा व अतिक्रमण मानते हुए जैरे अपील आदेश व उक्त नबाब के खिलाफ अलग से कार्यवाही मे पीठासीन अधिकारी अदालत मातहत तहसीलदार झुंझुनूं ने आदेश पारित किया है। अपीलान्ट के पुख्ता कदीमी तामीरशुदा मकानात मे विधुत कनेक्शन है जिसके अनापत्ति प्रमाण पत्र हेतु ग्राम पंचायत को प्रमाण पत्र हेतु अदा की गई फीस की रसीद है। अपीलान्ट /गैरसायल को तथा उसके पिता चांद खां को वर्ष 1981, 1983, 1984, 1985, 1990 मे नोटिस जारी किये गये है। विवादित भूमि ग्राम सोती ख0न0 2010 रकबा 1.85 है0 पूर्णतया समूचा पुख्ता आवासीय उपयोग व उपभोग मे ग्रामवासीगण सोती कर रहे है ऐसी स्थिति मे उक्त भूमि जोहड नही रहा। अतः अपील पेशकर निवेदन है कि अपील अपीलान्ट स्वीकार कर निर्णय व आदेश जैरे अपील दिनांक 07.09.2018 को निरस्त कर अदालत मातहत को प्रति प्रेषित इस आशय के साथ फरमावे कि अपीलान्ट/गैरसायल को अपने जबाब व सबूत पेश करने के लिए न्यायोचित अवसर देकर पुनः विधिसम्मत् आदेश प्रकरण मे फरमावें।

बहस उभय पक्षकारान सुनी गई। विद्वान अभिभाषक अपीलान्ट् ने बहस के दौरान अपील में वर्णित तथ्यों की पुनरावर्ती करते हुए निवेदन किया कि उक्त अनुसार ही प्रकरण दर्ज कर कार्यवाही अन्तर्गत धारा 91 राज0 लैण्ड रेवेन्यू एक्ट दर्ज नही होनी चाहिए थी। अपीलान्ट/गैरसायल का कब्जा व तामीर मकानात् पैतृक विरासत मे मिली भूमि पर है। उक्त भूमि पर अपीलान्ट/गैरसायल के पिता चांद खां का दिनांक 28.01.1983 को राजस्व अभियान कैम्प प्रतापपुरा मे तत्कालीन नायब तहसीलदार झुंझुनूं ने पुराना कब्जा मानते हुए नियमन योग्य मानते हुए 500 वर्गगज निःशुल्क एवं 500 वर्गगज सशुल्क तथा बाकी 232 वर्गगज भूमि की पेनल्टी कायम करते हुए निर्णय दिया है। अपीलान्ट/गैरसायल नबाब की वल्दियत भी अदालत मातहत द्वारा अपने नोटिस मे गलत अंकित की है। अपीलान्ट/गैरसायल को तथा उसके पिता चांद खां को वर्ष 1981, 1983, 1984, 1985, 1990 मे नोटिस जारी किये गये है। विवादित भूमि ग्राम सोती ख0न0 2010 रकबा 1.85 है0 पूर्णतया समूचा पुख्ता आवासीय उपयोग व उपभोग मे ग्रामवासीगण सोती कर रहे है ऐसी स्थिति मे उक्त भूमि जोहड नही रहा। अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार कर निर्णय व आदेश जैरे अपील दिनांक 07.09.2018 को निरस्त कर अदालत मातहत को प्रति प्रेषित इस आशय के साथ फरमावे कि अपीलान्ट/गैरसायल को अपने जबाब व सबूत पेश करने के लिए न्यायोचित अवसर देकर पुनः विधिसम्मत् आदेश प्रकरण मे फरमावें।

A

जिला कलक्टर झुन्झुनूं

विद्वान राजकीय अभिभाषक रेस्पोडेन्ट ने बहस के दौरान तर्क प्रस्तुत किया कि अतिक्रमण की गई भूमि की किस्म गैर मुमकिन जोहड है जो राजकीय भूमि है, जिस पर अपीलान्ट ने पक्का निर्माण कर अतिक्रमण कर रखा है। जिसका अपीलान्ट को कोई अधिकार प्राप्त नहीं है। अदालत मातहत द्वारा मौका रिपोर्ट पटवारी हल्का की जांच कर अतिक्रमण हटाने के आदेश दिये है। जो विधिसम्मत है जिसमें किसी प्रकार की अनियमितता नही है। अदालत मातहत द्वारा पूर्ण दस्तावेजों के अवलोकन के उपरांत ही निर्णय पारित किया गया है। अपीलांट की अपील में कोई फोर्स नहीं है। अपीलान्ट्स की अपील खारिज फरमाई जावे।

पत्रावली का अवलोकन किया व बहस वकील पक्षकारान पर बगौर मनन किया। अदालत मातहत ने अपीलान्ट को ग्राम सोती स्थित भूमि खसरा नम्बर 210 कुल रकबा 1.85 हैक्टर किस्म गैर मुमकीन जोहड़ में 0.18 हैक्टर का अतिक्रमी माना है। लेकिन अपीलान्ट ने इस अदालत मे जाहिर किया कि अदालत मातहत मे उसके द्वारा नियुक्त वकील द्वारा जबाब पेश किया। वकील की गलती की सजा अपीलार्थी–प्रार्थी को देना ठीक नही है। विवादित भूमि के संबंध मे पुराना 40 साल का कब्जा, कब्जे के प्रमाण तथा इस जमीन के पट्टे के तथ्यों को रिकार्ड पर लेकर निर्णय दुबारा किया जाना उचित समझते है। अतः अपीलान्ट की अपील स्वीकार की जाकर अदालत मातहत द्वारा पारित निर्णय दिनांक 07.09.2018 खारिज किया जाता है तथा निर्णय प्रति इस निर्देश के साथ प्रेषित की जाती है कि अदालत मातहत अपीलान्ट द्वारा प्रस्तुत पट्टे, कदीमी कब्जे व दस्तावेजों की पुनः जांच करते हुये अपीलान्ट को सुनवाई का पूर्ण अवसर प्रदान कर विधि सम्मत् निर्णय पारित करें। अपील स्वीकार होने की स्थिति में स्थगन प्रार्थना पत्र की बाबत अलग से आदेश पारित करने की आवश्यकता नहीं है। रिकार्ड अदालत मातहत निर्णय की प्रति सहित वापिस लौटाया जावें। पत्रावली निर्णय शुमार होकर पंजिका से कम हो।

निर्णय आज दिनांक 02.11.2020 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

02/11/2020

(यू0डी0खान)
जिला कलक्टर, झुंझुनू
जिला कलक्टर झुंझुनूं